रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 359] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 20, 1973/आश्विन 28, 1895
No. 359] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 20, 1973/ASVINA 28, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 20th October, 1973

S.O. 558(E).—Whereas in the opinion of the Central Government it is necessary and expedient so to do for securing the defence of India and for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike or lock-out in the works connected with the Idikki Hydro-electric Project in the State of Kerala would prejudicially affect the defence of India and for maintaining supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strike or lock-out in the said works;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, strike or lock-out, in connection with any industrial dispute, in the said works for a period of six months.

[No. F. S. 42025/10/73-LR-I]

N. P. DUBE, Addl. Secy.

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1973

का० आ० 558(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय में भारत की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए और समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

और यतः केरल राज्य में इडिक्की जल-विद्युत परियोजना से संबंधित किसी कार्य में कोई हड़ताल या तालाबन्दी भारत की रक्षा पर और समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाओं को बनाये रखने के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इसलिए उक्त सेवा में हड़ताल या तालाबन्दी को रोकना आवश्यक और समीचीन है ।

अतः, अब, भारत सरकार रक्षा-नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त सेवा में किसी भी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित हड़ताल या तालाबन्दी को तुरन्त से छः मास की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करती है ।

[सं०फा० एस-42025/10/73-एल० आर०-1]

नि० प्र० दुबे, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973